रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229210
CG-DL-E-25082021-229210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943
No. 474] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 586(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह "क" पद हिंदी शाखा) भर्ती नियम 2013 को, जहां तक उसका संबंध संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (समूह "क" पद), भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता-वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**	**चयन/ अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी	02*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर- 14 (1,44,200-2,18,200 रु.)	चयन पद ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रु.) में राजभाषा खंड के ऐसे अपर विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13क (1,31,100-2,16,600 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13 (1,23,100-2,15,900 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हों :- आवश्यक :– (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में मास्टर डिग्री (एल.एल.एम); और (ii) जिनके पास निम्नलिखित अनुभव हो : (I) राज्य न्यायिक सेवा का तेरह वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो; या (II) केंद्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सेवक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय के ऐसे कार्यपालक या अधिकारी जिनके पास विधिक कार्य का तेरह वर्ष का अनुभव हो; या (III) ऐसे अर्हित विधि व्यवसायी जिन्होंने तेरह वर्ष तक उस रुप में व्यवसाय किया हो; या (IV) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में तेरह वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो; या (V) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद का तेरह वर्ष का अनुभव हो; या (VI) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारुपण का तेरह वर्ष का अनुभव हो; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था से या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिंदी एक विषय के रुप में रहा हो; या (आ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में बैचलर डिग्री (एल.एल.बी.) ; और (ii) जिनके पास निम्नलिखित अनुभव हो :- (I) राज्य न्यायिक सेवा का पंद्रह वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो; या (II) केंद्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सरकारी सेवक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय के ऐसे कार्यपालक या अधिकारी जिनके पास विधिक कार्य का पंद्रह वर्ष का अनुभव हो; या (III) ऐसे अर्हित विधि व्यवसायी जिन्होंने पंद्रह वर्ष तक उस रुप में व्यवसाय किया हो; या

(IV) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पंद्रह वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो; या

(V) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद का पंद्रह वर्ष का अनुभव हो; या

(VI) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारुपण का पंद्रह वर्ष का अनुभव हो; और

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था से या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिंदी एक विषय के रुप में रहा हो।

टिप्पण 1: आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त अर्हित विधि व्यवसायी पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक अधिवक्ता या एक अभिवक्ता हो और विधि में मास्टर डिग्री(एल.एल.एम.) धारक की दशा में तेरह वर्ष तक या विधि में बैचलर डिग्री (एल.एल.बी.) धारक की दशा में पंद्रह वर्ष तक उसी हैसियत में व्यवसाय किया हो।

टिप्पण 2: विधिक कार्य में अनुभव पद से सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय के अधीन अधिष्ठायी विधिक पदधारी अभिप्रेत है जिसके लिए एल.एल.बी. की डिग्री भर्ती के लिए एक पूर्व अपेक्षित या आवश्यक अर्हता हो।

वांछनीय : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में हिंदी में विधायी प्रारुपण का पांच वर्ष का अनुभव।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रुप में रहा हो या माध्यम रहा हो।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 4 - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -- अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -- सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -- सदस्य 4. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -- सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/1/2021-प्रशा.]

अनूप कुमार वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2021

G.S.R. 586(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'A' Posts Hindi Branch) Recruitment Rules, 2013, in so far it relates to the post of Joint Secretary and Legislative Counsel, except as respects things done or omitted to be done before such supsession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Secretary and Legislative Counsel in the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, Joint Secretary and Legislative Counsel (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post / non selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Secretary and Legislative Counsel	2(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service non Ministerial Gazetted Group, 'A'.	Level 14 in pay matrix (Rs.1,44,200 - 2,18,200)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:— Additional Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Official Languages Wing in level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) in the pay matrix with three years regular service in the grade. **Deputation: ----** Officers under the Central Government or State Government or Union territories; - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13A in the pay matrix Rs.131100-216600 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13 in the pay matrix Rs.123100-215900 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and	Group 'A' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman; 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; 4. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while filling up the post on deputation basis.

experience:- Essential :- (A) (i) Masters Degree in Law (LLM) from a recognised University or Institution; and (ii) Possessing the following: (I) a member of State Judicial Service for a period of thirteen years; or (ii) a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector or Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has had experience in legal affairs for thirteen years; or (III) a qualified legal practitioner who has practised as such for thirteen years; or (IV) a teacher of Law for thirteen years in a recognized institution; or (V) thirteen years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government or Union Territory; or (VI) thirteen years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government or Union Territory; and (iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign university approved by the Central Government. Or (B) (i) Bachelors Degree in Law (LLB) from a recognised University / Institution; and (ii) possessing the following: (I) a member of State Judicial Service for a period of fifteen years; or (II) a Central or State or UT Government Servant / an executive / officer in a Public Sector Undertaking / Statutory Body / Autonomous Body who has had experience in legal affairs for fifteen years; or (III) a qualified legal practitioner who has practised as such for fifteen years; or (IV) a teacher of Law for fifteen years in a recognized institution; or (V) fifteen years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or the State Government or Union territory; and (VI) Fifteen years experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government or Union territory; and (iii) passed Secondary School Examination or any		

higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognized Board or University or any institution or foreign university approved by the Central Government. **Note 1:** The expression Qualified Legal Practitioner used in the essential qualifications means a person who is an advocate or a pleader and has practised as such for thirteen years in case of holder of Masters Degree in Law (LLM) or 15 years in case of holder of Bachelors Degree in Law (LLB). **Note 2:** The term experience in legal affairs means holding of a substantive legal post under the Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body for which LLB degree is a prerequisite or essential qualification for recruitment. **Desirable:** (i) Five years experience of legislative drafting in Hindi in Central Government or State Government or Union territory. (ii) Bachelors degree from a recognised university with Hindi as a subject or medium at degree level. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 4:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. A-12018/1/2021-Admn.]

ANUP KUMAR VARSHNEY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.25 15:49:07 +05'30'